मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	36.9	38.2	36.1	35.0
न्यूनतम	27.4	27.4	27.4	28.1

दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद

कोर्ट ने नोटिस के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र से मांगा जवाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जुलाई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों की उन याचिकाओं पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिनमें सफदरजंग रोड स्थित क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को खाली कराने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी गई है।

राजधानी के पाश सफदरजंग मार्ग स्थित जिमखाना क्लब परिसर को खाली करने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होने के मद्देनजर मंगलवार को केंद्र के संपदा कार्यालय में इस मुद्दे पर कोई ठोस सुनवाई होने की संभावना नहीं है। न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने सोमवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों की ओर से दाखिल याचिका पर केंद्र से जवाब तलब करते हुए सरकार का पक्ष रख रहे सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि संपदा अधिकारी के समक्ष सात जुलाई को होने वाली सुनवाई को अगली सुनवाई की तारीख के बाद के किसी दिन के लिए टाल दिया जाए। जिमखाना के सदस्यों और कर्मियों ने 27.3 एकड़ की जगह से बेदखल करने के लिए जारी 'कारण बताओ नोटिस' को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति झिंगन ने कारण बताओ नोटिस के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली अर्जियों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। सालिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार इन आवेदनों पर अपना जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि संपदा अधिकारी के समक्ष सात जुलाई को सुनवाई निर्धारित है लेकिन वे वहां सुनवाई टालने का अनुरोध कर सकते हैं। न्यायमूर्ति झिंगन ने सालिसिटर जनरल से कहा कि 'श्रीमान मेहता, हम इसे पहले से तय तारीख (मुख्य मामले में) के लिए रख रहे हैं। बस यह देख लें कि इसे (संपदा अधिकारी की सुनवाई को) उस तारीख के बाद के लिए स्थगित कर दिया जाए।'

अरुणा आसफ अली अस्पताल के ड्यूटी कक्ष में मृत मिले डाक्टर

पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला, चाचा ने लगाया हत्या का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जुलाई।

दिल्ली सरकार के अरुणा आसफ अली अस्पताल में 35 वर्षीय डाक्टर ड्यूटी कक्ष के अंदर मृत मिले। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। अधिकारियों के मुताबिक, डाक्टर मानसिक तनाव में थे, क्योंकि अलग-अलग जाति से होने के चलते परिवार वाले उसकी सहकर्मी के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थे। घटना के बाद, आनंद के चाचा ने अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डाक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी हत्या की गई है।

पुलिस ने बताया कि डाक्टर की पहचान सिमरप्रीत सिंह आनंद के रूप में हुई है, जो अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट थे। पुलिस के अनुसार, वह अस्पताल में लगभग तीन वर्षों से तैनात थे। पुलिस के मुताबिक, आनंद शनिवार रात आठ बजे से रविवार सुबह आठ बजे तक रात्रि ड्यूटी पर थे और रात 11 बजे तक सक्रिय थे और फिर वह ड्यूटी कक्ष नंबर 109 में चले गए। पुलिस ने बताया कि जब शिफ्ट खत्म होने के बाद वह बाहर नहीं आए, तो उनके सहकर्मियों ने उन्हें फोन किया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, अस्पताल के अधिकारियों को सतर्क किया गया। पुलिस ने बताया कि अंदर से बंद कमरे को सुबह करीब नौ बजे जबरन खोला गया और आनंद बिस्तर पर बेहोश मिले। उन्हें अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि आनंद के बाएं हाथ में एक कैनुला लगा हुआ मिला, जिसे डाक्टर के अनुरोध पर शनिवार रात करीब 10 बजे एक तकनीशियन सहायक ने लगाया था। सूत्रों ने बताया कि जिला अपराध टीम और फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), रोहिणी ने घटनास्थल की जांच की और कमरे से सीरिंज, दवा की खाली शीशियां, तीन पेज का पत्र और एक डायरी बरामद की। सूत्र ने कहा कि पत्र में कहा गया है कि आनंद मध्य प्रदेश की एक महिला सहकर्मी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी। उनके परिवारों ने विवाह का विरोध किया, क्योंकि वे अलग-अलग जाति के थे। मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले आनंद ने एनेस्थीसिया में एमडी किया था और वे पिछले करीब तीन साल से अस्पताल में काम कर रहे थे। वह लाजपत नगर में किराए के मकान में रहते थे, जबकि उनका परिवार लुधियाना में रहता था।

> *पत्र* में कहा गया है कि आनंद मध्य प्रदेश की एक महिला सहकर्मी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी।

खबर कोना

एसी का कंप्रेसर फटने से घर में लगी आग, कोई जनहानि नहीं

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 6 जुलाई।

ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में सोमवार सुबह एक घर में लगे एअर कंडीशनर (एसी) के कंप्रेसर में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। थाना दनकौर क्षेत्र के ग्राम ननुआ के एक मकान में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां रहने वालों समेत आस-पड़ोस के घरों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। थाना दनकौर प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और उसे आसपास फैलने से रोक दिया। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा की सदर तहसील में किसान सभा का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 6 जुलाई।

ग्रेनो की सदर तहसील में सोमवार को अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने कथित भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि ग्राम सूरजपुर के एक मकान के ऋण आवेदन के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय लेखपाल ने अपने चालक के जरिए रुपए की मांग की। प्रदर्शन के बाद किसान सभा ने तहसील प्रशासन को शिकायत सौंपकर आरोपी लेखपाल के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। किसान सभा ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। संगठन ने चेतावनी दी कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान सभा के सक्रिय सदस्य ओम दत्त शर्मा को ग्राम सूरजपुर स्थित अपने मकान के संबंध में लोन आवेदन का सत्यापन कराना था। आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल ने अपने चालक के माध्यम से सत्यापन के एवज में रुपए मांगे। इसकी जानकारी मिलने के बाद किसान सभा ने विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया। सोमवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सदर तहसील पहुंचे और प्रदर्शन किया। इसके बाद किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल ने तहसील सभागार में मौजूद एसीपी और तहसीलदार अजय के सामने पूरा मामला रखा।

दोस्त का जन्मदिन मनाने गया युवक तरणताल में डूबा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हुई मौत की वजह, बिसरा सुरक्षित रखा गया

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 6 जुलाई।

सेक्टर 135 स्थित एक फार्महाउस में दोस्त के जन्मदिवस समारोह के दौरान तरणताल में नहाते हुए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर बिसरा सुरक्षित रखा गया है।

> *सीसीटीवी* के जरिए मामले की जांच कर रही है पुलिस।

आशंका जताई गई है कि नहाने के दौरान युवक को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हुई। वहीं, युवक के परिजनों की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, मूलरूप से मणिपुर राज्य निवासी 26 वर्षीय लकी सनवऊ डामया वाजिदपुर गांव में किराए पर रहता था। वह नोएडा के एक कंपनी में नौकरी करता था। शनिवार रात वह सेक्टर 135 स्थित यमुना किनारे एक फार्महाउस में अपने दोस्त के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गया था। बताया जा रहा है कि केक काटने और खाना खाने के बाद लकी तरणताल में नहाने चला गया। इसी बीच वह तरणताल में गिर गया और डूब गया। लकी को डूबा हुआ देख उसके दोस्त उसे तरणताल से बाहर निकालकर नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी होने पर दिल्ली में रहने वाली लकी की बहन वायलान डिलो भी मौके पर पहुंचीं। अस्पताल प्रबंधन के मैमो से पुलिस को घटना का पता चला और मौके पर पहुंची। रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं, सोमवार को आइ पोस्टमार्टम रपट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं आया है। थाना प्रभारी अमित कुमार खारी ने बताया कि बिसरा सुरक्षित रखा गया है। अभी तक की जांच में हृदयघात से मौत होने की आशंका है।

मौसम फरीदाबाद में सोमवार को बारिश के दौरान खुद को बचाते स्कूटी सवार।

आटो चालक को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा, 6 जुलाई (संवाददाता)।

थाना जेवर क्षेत्र के गांव थोरा में पुरानी रंजिश में आटो चालक 30 वर्षीय गोविंद को सौरभ ने गोली मार दी।

गोली गोविंद के सीने में लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सौरभ को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, गोविंद का गांव के ही सौरभ से पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश को लेकर दोनों के बीच फिर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान सौरभ ने तमंचा निकालकर गोविंद पर गोली चला दी थी।

पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं की रिकार्डिंग करने का आरोप

नई दिल्ली, 6 जुलाई (संवाददाता)।

परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन सोमवार को 17वें दिन भी जारी रहा। वहीं, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का नौवां दिन है। अनशन शुरू करने के बाद से उनका कुल वजन 6.9 किलोग्राम कम हो गया है।

> *जंतर* मंतर पर वांगचुक के अनशन का नौवां दिन।

डाक्टरों की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, वांगचुक का रक्तचाप 107/67 एमएम एचजी और रक्त शर्करा स्तर 72 एमजी/डीएल दर्ज किया गया। काजपा के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 'एक्स' पर उठाया कि सरकार ने कथित तौर पर पुलिस से प्रदर्शन स्थल पर महिला कार्यकर्ताओं की रिकार्डिंग करने के लिए क्यों कहा। उन्होंने कहा, 'सरकार ने पुलिस से महिला कार्यकर्ताओं की रिकार्डिंग करने के लिए क्यों कहा? कल रात, कुछ अधिकारी महिला कार्यकर्ताओं की तस्वीरें लेते हुए पकड़े गए। जब उनसे पूछताछ की गई, तो वे भाग गए।'

राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश से न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई गिरावट

नई दिल्ली, 6 जुलाई (संवाददाता)।

राजधानी में सोमवार सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आई।

सोमवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 कम 27.0 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2.0 अधिक 38.6 डिग्री दर्ज हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) का कहना है कि मंगलवार को भी बारिश होगी, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किए जाने की संभावना है।

आइएमडी के अनुसार, मंगलवार को हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी और सामान्यतः 30-40 व कई इलाकों में 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक दर्ज की जा सकेंगी। साथ ही तेज गरज के साथ कई दौर की बारिश होने का अनुमान है, इसीलिए आइएमडी ने मंगलवार को 'पीली चेतावनी' जारी की है।

अधिकतम तापमान 35-37 व न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। सोमवार को दिल्ली में सुबह साढ़े आठ बजे तक 6.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। जबकि सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर सुबह नौ बजे 92 व शाम को 53 फीसद दर्ज किया गया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, 75/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ (यूपी) – 250004
फोनः 8477000776 ईमेलः sarmee@bankofbaroda.bank.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को वैधानिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
[परिशिष्ट IV-A अचल संपत्ति हेतु 8(6) और 9(1) का परंतुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) & 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है" और "जो कुछ भी है" के** आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) को प्रत्यामूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रतिभूति लेनदार) की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं)/प्रतिभूत आस्तियां/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि और बोली वृद्धि राशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर्स/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण	कुल बकाया	ई-नीलामी तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	कब्जा की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	मेसर्स एम.टी. कॉन्ट्रैक्टर निवासीः बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर – 247001 **श्री तोहीद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद रिजवान (प्रोपराईटर)** निवासीः बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर – 247001 **श्री मुस्ताक अहमद पुत्र श्री मोहम्मद साद्दिक (गारंटर)** निवासीः बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर – 247001 **श्री रिजवान अहमद पुत्र श्री इस्लाम (गारंटर)** निवासीः बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर – 247001	श्री मुस्ताक अहमद पुत्र श्री मोहम्मद साद्दिक की आवासीय संपत्ति जोकि खसरा संख्या 2713, मोहल्ला बड़ी तरफ शेखपुरा कदीम, सहारनपुर 247001, उत्तर प्रदेश में स्थित, क्षेत्रफल 423.50 वर्ग गज सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्वः श्री दिलशेर का मकान, उत्तरः 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः मुकर्रम का मकान भार, यदि कोई हो – ज्ञात नहीं	रु. 42,84,218/- (रुपये बयालीस लाख चौरासी हजार दो सौ अठारह मात्र) दिनांक 12.03.2024 तक तथा 01.01.2024 से आगे का ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, विधिक प्रभार एवं अन्य विविध व्यय	28-07-2026 को अपॉ 02.00 बजे से अपॉ 06.00 बजे तक	1. रु. 22,61,700/- 2. रु. 2,26,170/- 3. रु. 10,000/-	रचनात्मक कब्जा	20.07.2026 अपॉ 03.00 बजे से अपॉ 05.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://bankofbaroda.bank.in/e-auction/ और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com में दिए गए लिंक को देखें/जाएं। इसके अलावा, संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी के मो. 8477000776 से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 06.07.2026 स्थानः मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, 75/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ (यूपी) – 250004
फोनः 8477000776 ईमेलः sarmee@bankofbaroda.bank.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को वैधानिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस [परिशिष्ट IV-A अचल संपत्ति हेतु 8(6) और 9(1) का परंतुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) & 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है" और "जो कुछ भी है" के** आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) को प्रत्यामूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रतिभूति लेनदार) की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं)/प्रतिभूत आस्तियां/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि और बोली वृद्धि राशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर्स/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण	कुल बकाया	ई-नीलामी तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	कब्जा की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	1. मेसर्स शिप्रा इंडस्ट्रीज, इसके पार्टनर द्वारा श्री सुनील त्यागी एवं श्रीमती सीमा त्यागी पंजीकृत कार्यालयः सं.292/1, मोहकमपुर, दिल्ली रोड, मेरठ – 250002, उत्तर प्रदेश 2. श्री सुनील त्यागी पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह त्यागी (मेसर्स शिप्रा इंडस्ट्रीज में पार्टनर), पता 1: मकान सं. ई-161, सेक्टर-3, सुशांत सिटी, एन.एच.-58, मेरठ – 250002, उत्तर प्रदेश, पता 2: 566/1, माधव पुरम कॉलोनी, मोहकमपुर, दैनिक जागरण के पीछे, दिल्ली रोड, मेरठ – 250002, 3. श्रीमती सीमा त्यागी पत्नी श्री सुनील त्यागी (मेसर्स शिप्रा इंडस्ट्रीज में पार्टनर), पता 1: मकान सं. ई-161, सेक्टर-3, सुशांत सिटी, एन.एच.-58, मेरठ – 250002, उत्तर प्रदेश, पता 2: 566/1, माधव पुरम कॉलोनी, मोहकमपुर, दैनिक जागरण के पीछे, दिल्ली रोड, मेरठ – 250002, 4. श्री धर्मवीर कथूरिया पुत्र श्री खीमचन्द्र (गारंटर) मकान सं. 304, कथूरिया भवन, ब्रह्मपुरी, मेरठ – 250002, उत्तर प्रदेश, 5. श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता (गारंटर), मकान सं. 93, मोटर वाली गली, बेगम बाग, मेरठ – 250002, उत्तर प्रदेश	साम्यिक बंधक सम्पत्ति जोकि श्रीमती सीमा त्यागी पत्नी श्री सुनील त्यागी के नाम पर वाणिज्यिक भूमि, जिस पर निर्मित कोई भी निर्माण सहित, क्षेत्रफल 343.64 वर्ग मीटर, कॉमन प्लॉट संख्या 5, जो खसरा संख्या 292 का भाग ग्राम मोखमपुर, परगना एवं तहसील मेरठ में स्थित सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्वः अन्य व्यक्तियों की भूमि, पश्चिमः 16 फीट चौड़ा मार्ग, उत्तरः श्रीमती आरती अग्रवाल का प्लॉट, दक्षिणः 16 फीट चौड़ा मार्ग भार, यदि कोई हो – ज्ञात नहीं	रु. 43,90,679/- (रुपये तैंतालीस लाख नब्बे हजार छह सौ उनहत्तर मात्र) दिनांक 29-11-2025 तक तथा उस पर आगे का ब्याज, विधिक व्यय एवं अन्य विविध प्रभार	25-08-2026 को अपॉ 02.00 बजे से अपॉ 06.00 बजे तक	रु. 1,24,58,000/- रु. 1,24,580/- रु. 10,000/-	रचनात्मक कब्जा	20.08.2026 अपॉ 03.00 बजे से अपॉ 05.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://bankofbaroda.bank.in/e-auction/ और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com में दिए गए लिंक को देखें/जाएं। इसके अलावा, संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी के मो. 8477000776. से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 06.07.2026 स्थानः मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

नवविवाहिता की मौत के आरोप में पति गिरफ्तार

नई दिल्ली, 6 जुलाई (संवाददाता)।

दिल्ली के लोधी कालोनी इलाके में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के एक आवासीय परिसर की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद 28 वर्षीय नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के परिजनों ने उसके पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है।

पुलिस उपायुक्त ने सोमवार को बताया कि पुष्प विहार निवासी आकृति शनिवार को पालिका कुंज स्थित एनडीएमसी फ्लैट्स के बी-ब्लाक की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे तत्काल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि आकृति की शादी इसी वर्ष 24 अप्रैल को हुई थी। वह छतरपुर स्थित एक निजी कंपनी में 'सेल्स एग्जीक्यूटिव' के पद पर कार्यरत थी। जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रविवार को लोधी कालोनी थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया और महिला के पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार किया गया है।

रेस्तरां में काम करने वाले कारीगर की करंट से मौत

नई दिल्ली, 6 जुलाई (संवाददाता)।

पंजाबी बाग थाना क्षेत्र में एक रेस्तरां में काम करने वाले 28 वर्षीय कारीगर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय बाबलू के रूप में हुई है, जो मूलरूप से संभल, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पिछले दो-तीन वर्षों से पंजाबी बाग स्थित नान एंड चाप रेस्तरां में काम कर रहा था। हादसा उस समय हुआ, जब वह रेस्तरां में इंडक्शन चूल्हे पर काम कर रहा था।

जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब आठ बजे पुलिस को सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाबलू को अचेत अवस्था में पाया। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर जांच टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि इंडक्शन चूल्हे पर काम के दौरान करंट लगने से हादसा हुआ। हालांकि, पुलिस तकनीकी खराबी, सुरक्षा मानकों में लापरवाही या किसी अन्य कारण की भी जांच कर रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

निर्माणाधीन भवन की पांचवीं मंजिल से गिरकर मजदूर की गई जान

नोएडा, 6 जुलाई (संवाददाता)।

नोएडा के सेक्टर-129 स्थित एक निर्माणाधीन भवन में काम के दौरान रविवार को पांचवीं मंजिल से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के जनपद जमुई निवासी अशोक मांझी के रूप में हुई है। थाना एक्सप्रेस वे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।

अशोक मांझी पिछले कई महीनों से नोएडा में रहकर मजदूरी कर रहा था। वह जेपी क्लासिक सोसाइटी के सामने बने श्रमिक शिविर में रहता था। रविवार को वह सेक्टर-129 स्थित निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह पांचवीं मंजिल से नीचे गिर गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी मजदूर उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल प्रशासन ने रविवार देर रात घटना की सूचना थाना एक्सप्रेस वे पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दी। परिजन बिहार से नोएडा के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं। साथ ही मजदूरों को हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे या नहीं।